निग0 6026/2018/सीधी/भू-रा0

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा(म0प्र0)

आनंद बहादुर सिंह पिता स्व0 श्री भैयालाल सिंह निवासी नवगंवा धीर सिंह तह0 गोपदबनास जिला सीधी (म0प्र0) ....निगरानीकर्ता

बनाम

श्रीमती दुर्घटिया पत्नी श्री गणेश प्रसाद शर्मा निवासी ग्राम चौफाल, तह0 गोपदबनास जिला सीधी (म0प्र0) ....गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् अपर कमिश्नर रीवा लिंक कोर्ट सतना/सीधी के. प्र.क. 917/अपील/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 31.08.18

निगरानी अन्तर्गत धारा 50म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य

1– यह कि आ.ख.क्र. 729 व 738 किता 2 भूमियां ग्राम चौफाल तह0 गोपद बनास जिला सीधी में स्थित हैं। इसके भूमिस्वामी गैर निगरानीकर्ता हैं। उसने उक्त भूमियों के सीमांकन बावत् आवेदन वर्ष 2006–07 में तहसीलदार तह0 वृत्त सेमरिया तह0 गोपदबनास के समक्ष पेश किया था जिसमें दिनांक 30.05.06 को हल्का पटवारी चौफाल द्वारा वगैर निगरानीकर्ता सरहदी काश्तकार को सूचना दिए हुए ऊपर वर्णित भूमियों का सीमांकन किया तथा सरहदी काश्तकार निगरानीकर्ता की भूमि नंबर 708 जो कि बांध है उस बांध की पुरानी मेड़ के तरफ 0.08 हे0 भूमि का सीमांकन कर दिया। चूँकि निगरानीकर्ता वर्तमान में ग्राम नौगंवा धीरसिंह में रह रहा था इसलिए उसे गैर निगरानीकर्ता द्वारा कराए गए सीमांकन की जानकारी नहीं हो पाई। बाद में लोगों द्वारा जानकारी होने पर वह तहसीलदार के समक्ष सीमांकन आपत्ति पेश की लेकिन उसकी आपत्ति पर तहसीलदार ने ध्यान नहीं दिया और दिनांक 21.07.06 को गैर निगरानीकर्ता के द्वारा कराए गए सीमांकन की पुष्टि कर दी गई तब निगरानीकर्ता द्वारा उक्त सीमांकन की निगरानी अपर कलेक्टर जिला सीधी के समक्ष पेश की जिसमें दिनांक 25.10.07 को अपर कलेक्टर सीधी ने निगरानीकर्ता की निगरानी निरस्त

निग0 6026/2018/सीधी/भू-रा0

(197)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 6026/2018/सीधी जिला– सीधी

आनन्द बहादुर सिंह विरूद्ध श्रीमती पुष्पिरिया

(1)	(2)	(3)
16-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री हेम कुमार अग्निहोत्री अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कमिश्नर/अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 917/अपील/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 31.08.18 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 04.10.18 प्रस्तुत की गयी है। 2. म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये। 3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो। सदस्य	